

भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

सं. 1/10/8/2009-ईआर

भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई- 4 जून, 2010

संकल्प

**विषय: अन्य देशों के साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के बारे में
सहयोग संबंधी समझौतों के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश**

परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के, समय-समय पर यथासंशोधित, प्रावधानों के अनुसरण में परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार (जिसे इसके उपरांत 'विभाग' कहा गया है) ने दिनांक 18 जनवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.आ. 61 (ई) द्वारा विहित पदार्थों, विहित उपस्करों और प्रौद्योगिकी की एक सूची अधिसूचित की है। विभाग ने दिनांक 01 फरवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या एईए/27(1)/2005-ईआर द्वारा 'नाभिकीय हस्तांतरण हेतु दिशा-निर्देश (निर्यात)' भी जारी किए हैं और सभी निर्यात इन दिशा-निर्देश द्वारा शासित होने जारी रहेंगे।

2. सरकार, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन, विकास, उपयोग, और निपटान जिसमें इनसे संबंधित अनुसंधान किया जाना भी शामिल है, के लिए अन्य देशों के साथ असैन्य नाभिकीय सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है। सरकार किसी भी देश (जिन्हें इसके उपरांत 'सहयोगी देश' कहा गया है) के साथ किए गए अथवा किए जाने वाले सहयोग संबंधी द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय करारों (जिन्हें इसके उपरांत 'करार' कहा गया है) के तहत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किसी भी देश के साथ वाणिज्यिक संबंध बढ़ाए जाने को प्रोत्साहित करने की इच्छुक है। सरकार इसके साथ संलग्न अनुसूची-1 में सूचीबद्ध और परिभाषित नाभिकीय पदार्थ, गैर-नाभिकीय पदार्थ, उपस्कर, घटक, सूचना और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति उन देशों द्वारा किए जाने की भी अनुमति दे सकती है जो भारत के साथ इनका व्यापार ऐसे देशों (जिन्हें इसके उपरांत 'व्यापारिक देश' कहा गया है) के साथ किसी औपचारिक द्विपक्षीय सहयोग

संबंधी करार के बिना करने के लिए इच्छुक हैं। ऐसे देशों से किसी भी अनुसूचीबद्ध मद की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा दिए गए और सम्मत आश्वासनों (जिन्हें इसके उपरांत 'आश्वासन' कहा गया है) पर आधारित होगी। अनुसूचीबद्ध मदों की आपूर्ति संगत करार और आश्वासनों के अनुसार की जाएगी।

3. अन्य देशों के साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के बारे में सहयोग हेतु लागू करारों की प्रतियां विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

4. इन करारों में नाभिकीय पदार्थ, गैर-नाभिकीय पदार्थ, उपस्कर, घटक, सूचना और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण सरकारों के बीच सीधे ही अथवा प्राधिकृत/नामोद्दिष्ट व्यक्तियों के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। ऐसा कोई भी हस्तांतरण इन करारों में विनिर्दिष्ट शर्तों जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शांतिपूर्ण उपयोग संबंधी आश्वासन, आईईए के सुरक्षोपायों को लागू करना, पर्याप्त भौतिक सुरक्षा का प्रावधान, पुनर्हस्तांतरण की शर्तें, सूचना की गोपनीयता और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं, के अध्वधीन किया जाएगा।

प्राधिकार देना

5. भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति जो सहयोगी देश अथवा किसी व्यापारिक देश (जिन्हें इसके उपरांत आपूर्तिकर्ता कहा गया है), के व्यक्तियों के साथ वाणिज्यिक संबंध, सहयोग, सहकार अथवा अनुबंध (जिन्हें इसके उपरांत 'समझौता' कहा गया है) करने का इच्छुक है अथवा ऐसा समझौता कर चुका है, जैसे भी स्थिति हो, को ऐसे समझौते के लिए प्राधिकार प्राप्त करना होगा (जिसे इसके उपरांत 'प्राधिकार' कहा गया है)।

6. उस व्यक्ति जिसे यह प्राधिकार दिया गया है, को यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि उसके द्वारा किया जाने वाला अथवा किया जा चुका प्रस्तावित समझौता सहयोगी देश के साथ किए गए करार में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करता है, अथवा भारत सरकार द्वारा सम्मत आश्वासनों के अनुकूल है।

7. उस व्यक्ति को, जिसे यह प्राधिकार दिया गया है, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सहयोगी देश अथवा व्यापारिक देश के व्यक्ति के साथ ऐसे समझौते से भारत में किसी भी अन्य किसी गतिविधि जिसमें नाभिकीय पदार्थ, गैर-नाभिकीय पदार्थ, उपस्कर, घटक, सूचना अथवा प्रौद्योगिकी जो भारत में किसी व्यक्ति और/अथवा भारत सरकार द्वारा इस करार से अलग स्वतंत्र रूप से उत्पादित, अधिग्रहित अथवा विकसित की गई हैं, का इस्तेमाल शामिल है, बाधित अथवा अन्यथा उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा.

8. अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, अणुशक्ति भवन, छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग, मुंबई-400 001, को आवेदन शुल्क निर्धारित करने सहित प्राधिकार देने के लिए सक्षम प्राधिकारी (जिन्हें इसके उपरांत 'सक्षम प्राधिकारी' कहा गया है) मनोनीत किया गया है.

आवेदन

9. पैराग्राफ -8 में उल्लिखित प्राधिकार की मंजूरी अनुसूची-II में दिए गए विहित फार्म में आवेदन करने पर दी जाएगी.

प्रत्येक आवेदन के साथ पैरा-8 के अंतर्गत यथाविहित शुल्क संलग्न किया जाएगा.

सक्षम प्राधिकारी, आवेदक की तकनीकी, वित्तीय और कानूनी सक्षमता से संतुष्ट होने पर ही प्राधिकार दे सकता है.

जिस व्यक्ति को प्राधिकार दिया गया है, उसे सक्षम प्राधिकारी को अंतिम रूप से किए गए विलेख जिसमें किए गए समझौते का उल्लेख होगा, की प्रति उस तारीख जिस को ऐसा समझौता किया गया है, से 30 दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध करानी होगी.

अतिरिक्त सूचना

10. सक्षम प्राधिकारी ऐसी किसी अतिरिक्त सूचना और संगत सुविधाओं तक पहुँचने की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग कर सकता है जिसे वह प्राधिकार देने हेतु आवेदन पर

कार्रवाई करने, अथवा जिन शर्तों पर प्राधिकार दिया गया है, का लगातार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझता है.

रिपोर्टिंग की अपेक्षाएं

11. ऐसे प्राधिकार के तहत कोई भी नाभिकीय पदार्थ, गैर-नाभिकीय पदार्थ, उपस्कर, घटक, सूचना अथवा प्रौद्योगिकी प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति (जिसे इसके उपरांत 'प्राप्तकर्ता' कहा गया है) को ऐसे हस्तांतरण का ब्यौरा 30 दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना अपेक्षित होगा जिसमें ऐसे हस्तांतरण और किसी भी ऐसे कार्य जो उस व्यक्ति द्वारा करार अथवा आश्वासन के अनुसरण में किया गया है, का विवरण दिया जाएगा.

12. प्रत्येक प्राप्तकर्ता को प्रत्येक वर्ष की 15 अप्रैल तक एक वार्षिक प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जोकि ठीक पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित होगा और जिसमें किसी भी नाभिकीय पदार्थ, गैर-नाभिकीय पदार्थ, उपस्कर, सूचना अथवा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, और किसी भी ऐसे कार्य जो उस व्यक्ति द्वारा करार अथवा आश्वासन के अनुसरण में किया गया है, का विवरण होगा.


13. प्रत्येक प्राधिकार अ-हस्तांतरणीय, असमनुदेशनीय और ऐसी शर्तों और रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं के अधीन होगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएंगी अथवा तत्पश्चात मांगी जाएंगी. सक्षम प्राधिकारी किसी भी उस शर्त, जिस पर यह प्राधिकार दिया गया था, का उल्लंघन होने पर अथवा किसी भी रिपोर्टिंग अपेक्षा का अनुपालन न करने पर प्राधिकार को स्थगित कर सकता है अथवा रद्द कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे स्थगन अथवा प्रतिसंहरण का आदेश संबंधित व्यक्ति को अभ्यावेदन करने का अवसर देने और उसके अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद ही दिया जाएगा.

हस्तांतरण की मान्यता और सत्यापन

14. किसी भी नाभिकीय पदार्थ, गैर-नाभिकीय पदार्थ, उपस्कर, घटक, सूचना अथवा प्रौद्योगिकी को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के संबंध में सहयोगी देश के साथ सहयोग संबंधी करार अथवा भारत सरकार द्वारा व्यापारिक देश को दिए गए आश्वासन के अनुसरण में तभी हस्तांतरित होना माना जाएगा जब भारत में रहने वाले व्यक्ति द्वारा आपूर्तिकर्ता के साथ कोई समझौता करने से पहले प्राधिकार प्राप्त कर लिया गया हो, और सक्षम प्राधिकारी को ऐसा हस्तांतरण किए जाने की सूचना दे दी गई हो. भारत सरकार के पास ऐसे किसी हस्तांतरण को किसी भी तरीके से जिसे वह आवश्यक समझता है, सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित होगा.

कानूनी अपेक्षाएं

15. प्राधिकारों के अनुसरण में समझौते परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के प्रावधानों, अन्य लागू भारतीय कानूनों और नियमों, विनियमों और उनके अंतर्गत बनाए दिशा-निर्देशों के अध्यक्षीन होने जारी रहेंगे. ये समझौते भारत सरकार की नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों जिनमें भारत एक पक्षकार है या हो सकता है, के भी अनुरूप होंगे.



(ए. गीतेश शर्मा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अनुसूची-1

अनुसूची - 1 "नाभिकीय पदार्थ" से कोई भी "स्रोत पदार्थ" अथवा "विशिष्ट विखंडनीय पदार्थ" अभिप्रेत है क्योंकि ये शब्द अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के विधान के अनुच्छेद XX में परिभाषित हैं.

"गैर-नाभिकीय पदार्थ" से वह पदार्थ अभिप्रेत है जो किसी रिएक्टर में उच्च वेग वाले न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने तथा आगे और संलयन की संभावना को बढ़ाने के लिए उपयोग करने हेतु उपयुक्त है, और इसमें ड्यूटेरियम, भारी पानी, तथा ड्यूटेरियम यौगिक जिनमें हाइड्रोजन अणुओं की तुलना में ड्यूटेरियम का अनुपात 1:5000 की मात्रा में बढ़ जाता है, और 5 भाग प्रति मिलियन बोरॉन के बराबर से बेहतर शुद्धता वाले स्तर तथा 1.50 g/cc से अधिक घनत्व वाले ग्रेफाइट शामिल हैं;

"उपस्कर" से ऐसा उपस्कर अभिप्रेत है जिसे किसी नाभिकीय पदार्थ, गैर-नाभिकीय पदार्थ के उत्पादन अथवा उपयोग के लिए, अथवा परमाणु ऊर्जा के उत्पादन अथवा उपयोग के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित अथवा अनुकूलित किया गया हो अथवा जिसका इस्तेमाल किया जाता हो अथवा किया जाना हो, और इसमें नाभिकीय रिएक्टर, ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र, ईंधन संविरचन संयंत्र, यूरेनियम संवर्धन संयंत्र, यूरेनियम और प्लूटोनियम रूपांतरण सुविधाएं, भारी पानी उत्पादन संयंत्र, और ऐसे संयंत्रों/ सुविधाओं के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित, निर्मित, अनुकूलित अथवा इनमें इस्तेमाल किए जा रहे अथवा इस्तेमाल में लाए जाने वाले संबद्ध उपस्कर शामिल हैं;

"प्रौद्योगिकी" से वह विशिष्ट सूचना अभिप्रेत है जो इस अनुसूची में सूचीबद्ध मदों के विकास, उत्पादन और उपयोग के लिए जरूरी है सिवाय उन आंकड़ों के जो जनसामान्य प्रक्षेत्र में हैं अथवा आधारभूत वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित हैं;

"सूचना" से कोई भी ऐसी सूचना अभिप्रेत है जो जनसामान्य प्रक्षेत्र में नहीं है और ऐसे किसी करार के अनुसरण में किसी भी रूप में हस्तांतरित की गई है तथा पक्षकारों द्वारा करार के माध्यम से हार्ड कापी अथवा अंकीय रूप में इस प्रकार नामोद्दिष्ट और प्रलेखित की गई है कि यह ऐसे करार के अधधीन होगी, लेकिन जब भी कोई पक्षकार ऐसी सूचना का हस्तांतरण कर देता है अथवा कोई तीसरा पक्षकार विधि सम्मत रूप से जनसामान्य प्रक्षेत्र में इसे जारी कर देता है तब यह सूचना नहीं रहेगी.

अनुसूची - II

(आवेदन शुल्क रु.....)

भारत सरकार के दिनांक----- के संकल्प सं. ----- के अंतर्गत
यथापेक्षित सहयोगी देश/व्यापारिक देश के व्यक्ति के साथ भारत के किसी व्यक्ति द्वारा समझौता
किए जाने के लिए प्राधिकार देने संबंधी आवेदन

1. जमा किये गये आवेदन शुल्क का ब्यौरा :

2. आवेदनकर्ता का विवरण :

क) नाम:

ख) पता :

ग) नागरिकता :

घ) यदि कंपनी है तो पंजीकृत कार्यालय का पता:

ङ) किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा नियंत्रण का स्तर :

च) इस संकल्प की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु आवश्यक कोई अन्य सूचना :

3. सभी इच्छुक व्यक्तियों का विवरण (यदि एक से अधिक इच्छुक व्यक्ति हैं, जैसेकि सहायक कंपनियां, ठेकेदार और उप-ठेकेदार, तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के संबंध में यह सूचना दी जानी चाहिए तथा उसे 3.1, 3.2, 3.3, आदि के रूप में संख्याबद्ध किया जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी भावी तिथि को ऐसी रूचि रखता है तो उसका विवरण ऐसी रूचि उत्पन्न होने के 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाए):

3.1:-

क). नाम :

ख). पता :

ग). नागरिकता :

घ). यदि कंपनी है तो पंजीकरण संख्या और पंजीकृत कार्यालय का पता (पंजीकरण प्रमाण पत्र, संगत ज्ञापन और संगत अनुच्छेद तथा पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें):

ङ). किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा नियंत्रण का स्तर :

च). प्राधिकार हेतु अपेक्षाएं पूरी करने के लिए कोई अन्य आवश्यक सूचना :

3.2:-

(यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त कागज का उपयोग करें)

4. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आवेदनकर्ता को आज की तारीख तक जारी किये गये सभी लाइसेंसों/ प्राधिकारों का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त कागज का उपयोग करें)

5. प्रस्तावित कार्यकलाप का पूर्ण विवरण, किसी भी शामिल सुविधा का नाम और स्थल, उस व्यक्ति का नाम व पता जिसके साथ मिलकर संबद्ध कार्यकलाप निष्पादित किया जाना है तथा यह विशिष्ट परियोजना का विस्तृत विवरण जिससे यह कार्यकलाप संबंधित है (किए जाने वाले प्रस्तावित समझौते का मसौदा विलेख (डीड) प्रस्तुत किया जाए) :

6. किसी ऐसी सूचना का पदनाम जिसे स्वामित्व वाला माना जाता है तथा जिसके सार्वजनिक प्रकटन के परिणामस्वरूप आवेदक की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को अत्यधिक क्षति पहुंच सकती है।

7. प्राप्तकर्ता द्वारा स्वयं, अपनी सहायक कंपनियों, ठेकेदारों उप-ठेकेदारों की ओर से अनुबंध में दिये प्रपत्र के अनुसार वचनबद्धता।

वचनबद्धता

परमाणु ऊर्जा विभाग

भारत सरकार

मुंबई

हम, (प्राप्तकर्ता का नाम), -----
(जिसके साथ समझौता करने की परिकल्पना की गई है उस व्यक्ति का विवरण दें), -----
----- (जिसे इसके उपरांत आपूर्तिकर्ता कहा गया है), के साथ एक
समझौता (समझौते के स्वरूप का विशेष रूप से उल्लेख करें) -----
-----करना चाहते हैं, और सहयोग संबंधी करार (सहयोग
संबंधी करार का शीर्षक तथा देश का नाम लिखें) -----के अंतर्गत
और/अथवा भारत सरकार द्वारा -----(देश का नाम लिखें) को दिये गए
आश्वासनों के अनुसरण में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं।

(जो लागू न हो उसे काट दें)

उपरोक्त के संबंध में हम एतद्वारा निम्नलिखित घोषणा करते हैं और वचन देते हैं -

1. कि हमने करार/आश्वासनों को पढ़ और समझ लिया है तथा हम इसकी सभी शर्तों का पालन करेंगे।
2. कि एतद्वारा जिस प्राधिकार के लिए आवेदन किया गया है यदि वह मंजूर किया जाता है तो इससे हम उन विशिष्ट अनुमोदनों या लाइसेंसों जिन्हें विभिन्न प्रयोज्य कानूनों एवं उनके तहत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत हमें प्राप्त करना अपेक्षित है, जैसी कानूनी अपेक्षाओं से मुक्त नहीं होंगे।

3. कि हम इस बात से अवगत हैं कि जिस प्राधिकार के लिए एतद्वारा आवेदन किया गया है, यदि वह हमें मंजूर किया जाता है तो वह अहस्तांतरणीय और असमनुदेशनीय होगा तथा हम उसे न तो किसी व्यक्ति को हस्तांतरित करेंगे और न ही समनुदेशित करेंगे।
4. कि जो आपूर्तिकर्ता करार/आश्वासनों की शर्तों का उल्लंघन करता है उसके साथ हम न तो कोई समझौता करेंगे और न ही किसी समझौते में शामिल होंगे।
5. कि हमने न तो भारत में किसी व्यक्ति द्वारा या भारत सरकार द्वारा करार से स्वतंत्र रूप में उत्पादित, अर्जित या विकसित किसी नाभिकीय पदार्थ, गैर-नाभिकीय पदार्थ, उपस्कर, घटक, सूचना या प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित भारत की किन्हीं अन्य गतिविधियों में व्यवधान या अन्यथा रूप में हस्तक्षेप उत्पन्न करने वाला कोई समझौता किया है और न ही करेंगे।
6. कि आपूर्तिकर्ता से हमारे द्वारा प्राप्त किसी भी नाभिकीय पदार्थ, गैर-नाभिकीय पदार्थ, उपस्कर, सूचना या प्रौद्योगिकी या उनसे व्युत्पन्न मदों का उपयोग शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु किया जाएगा और उनका उपयोग किसी भी नाभिकीय विस्फोटक उपकरण, किसी विस्फोटक उपकरण पर अनुसंधान या उसका विकास करने या किसी सैन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
7. कि आपूर्तिकर्ता से हमारे द्वारा प्राप्त किसी भी नाभिकीय पदार्थ, गैर-नाभिकीय पदार्थ, उपस्कर, या उनसे व्युत्पन्न मदों तथा आपूर्तिकर्ता से हमारे द्वारा प्राप्त सूचना या प्रौद्योगिकी से व्युत्पन्न या उपयोग हेतु आपूर्ति की गई मदों का उपयोग केवल आईएईए सुरक्षोपायों के अधीन वाली सुविधाओं में ही किया जाएगा।
8. कि हमने आपूर्तिकर्ता के साथ एक गोपनीयता करार किया है जो हमें और आपूर्तिकर्ता को यह व्यादेश देता है कि हम अन्य पक्षकार से प्राप्त किसी गोपनीय सूचना को न तो पुनर्हस्तांतरित करें और न ही प्रकट करें, और न ही ऐसी गोपनीय सूचना के उपयोग से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्युत्पन्न किसी सुविधा, उपस्कर या पदार्थ का हस्तांतरण, सूचना प्रकट करने वाले पक्षकार या उसकी तत्संबंधी सरकार की पूर्व लिखित रूप में अनुमति के बिना भारत में विद्युत संयंत्रों के निर्माण या उपस्कर या घटकों के विनिर्माण हेतु अपेक्षित

सांविधिक/विनियामक अनुमोदनों के लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को न्यूनतम आवश्यक गोपनीय सूचना प्रकट किए जाने को छोड़कर, किसी अन्य देश या व्यक्ति को नहीं करेंगे।

9. कि हम आपूर्ति किये गये किसी भी नाभिकीय पदार्थ या आईईए के सुरक्षोपायों के अधीन वाली सुविधाओं से व्युत्पन्न किसी भी नाभिकीय पदार्थ के भंडारण का पर्याप्त भौतिक संरक्षण सुनिश्चित करेंगे और न्यूनतम पर ऐसा भौतिक संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रलेख आईएनएफसीआईआरसी/225/आरईवी.4 (संशोधित) में वर्णित सिफारिशों या इस दस्तावेज में भारत सरकार द्वारा सम्मत किसी संशोधन (नाभिकीय पदार्थ का हस्तन करने वाले प्राप्तकर्ता पर लागू) के तुल्यनीय संरक्षण प्रदान करेगा।
10. कि यह वचनबद्धता हमारे उत्तराधिकारियों के हित में, हमारी सभी सहायक कंपनियों, ठेकेदारों एवं उप-ठेकेदारों एवं ऐसी सहायक कंपनियों, ठेकेदारों एवं उप-ठेकेदारों के हित में उत्तराधिकारियों पर बाध्य होगी तथा हम ऐसी किसी अतिरिक्त भावी सहायक कंपनियों, ठेकेदारों एवं उप-ठेकेदारों के बारे में सक्षम प्राधिकारी को सूचना देते रहेंगे।

(प्राप्तकर्ता की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)